माननीय न्यायमूर्ति ***KC. Puri,***,के समक्ष,

यादविंदर सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

U.T.CHANDIGARH का राज्य-उत्तरदाता

क्र. सं. 2010 का एस-2187-एसबी

10 मई, 2013

भारतीय दंड संहिता, आई860- धारा 34,304-बी, 498 ए-दहेज मृत्यु, क्रूरता-अपीलार्थी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली-अपीलार्थी ने धारा 304-बी और 498 ए के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया-निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया और अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया-अपील में कहा गया कि दहेज की मांग साक्ष्य से साबित नहीं हुई-अपीलार्थी ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील स्वीकार की जाती है। निचली अदालत के फैसले और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जाता है।

K.C. पुरी, जे,

(1) अपीलार्थी यदविन्दर सिंह ने दिनांक 12.7.2010 के निर्णय और श्री ललित बत्रा, विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा पारित दिनांक 14.7.2010 के आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपील का निदेश दिया है, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को एक मामले 1 में दोषी ठहराया गया है; 1R No.256 दिनांक 16.6.2009 को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-B और 498-A के साथ पठित धारा 34 (संक्षेप में आईपीसी) के तहत पुलिस स्टेशन सेक्टर 39, चंडीगढ़ में दर्ज किया गया है और उसे आईपीसी की धारा 304-B के तहत अक्सर वर्षों के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और आगे दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी और 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। 1, 000/- आईपीसी की धारा 498-ए के तहत और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर तीन महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरना होगा। हालाँकि, दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था। सह-अभियुक्त जसपिंदर सिंह, परमजीत सिंह और मंजीत कौर को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

(2) अभियोजन पक्ष की संक्षिप्त कहानी यह है कि 16.6.2009 को पुलिस चौकी मालोवा में एक वायरलेस संदेश प्राप्त हुआ था जिसमें घर No.207 गांव मालोवा चंडीगढ़ में किसी ने जहर खा लिया था। एसआई राम रतन पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मकान नंबर.207 गांव मलोवा, चंडीगढ़ के सभी निवासियों अमनदीप सिंह, बलबीर सिंह, जगजीत सिंह, यादविंदर सिंह, जसपिंदर सिंह और मंजीत कौर से मुलाकात की। कमरे की पहली मंजिल पर एक महिला का शव बिस्तर पर पड़ा था और इसकी पहचान यादविंदर सिंह की पत्नी जगदीप कौर के रूप में हुई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ सुश्री प्रेमा पुरी। अनुमंडल मजिस्ट्रेट (दक्षिण) मौके पर पहुंचे थे। घटना स्थल की तस्वीर खींची गई और फिर अमनदीप सिंह का बयान दर्ज

किया गया कि उनकी बहन जगदीप कौर की शादी लगभग चार साल पहले हुई थी और कुछ समय पहले जगदीप कौर का तलाक हो गया था। 29.11.2008 को जगदीप कौर ने सिख संस्कारों और समारोहों के अनुसार अभियुक्त यादविंदर सिंह से पुनर्विवाह किया, जो तलाकशुदा भी था। शादी के समय यादविंदर सिंह के साथ, जगदीप कौर के माता-पिता ने अपनी स्थिति के अनुसार पर्याप्त दहेज दिया था, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद यादविंदर सिंह, उसके पिता जसपिंदर सिंह, मां मंजीत कौर, भाई अमरजीत सिंह और बहन हरप्रीत कौर ने कम दहेज लाने के कारण जगदीप कौर को सीएम सिटी के अधीन करना शुरू कर दिया। जगदीप कौर को उसके ससुराल वालों द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। जगदीप कौर अपने माता-पिता को टेलीफोन पर अपनी पीड़ा बताती थी और जब भी वह अपने माता-पिता के घर जाती थी, तब रहती थी, हालांकि अमनदीप सिंह (शिकायतकर्ता) अपने रिश्तेदारों के साथ मामले को सुलझा लेने के लिए जगदीप कौर के वैवाहिक घर गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जगदीप कौर अपने माता-पिता और भाई को टेलीफोन पर बताती थी कि उसके ससुराल वाले उसकी हत्या कर देंगे।

(3) यह आगे कहा गया है कि 16.6.2009 को लगभग 4.30 p.m. अमरदीप सिंह को यादविंदर सिंह से एक टेलीफोनिक संदेश मिला था कि वह तुरंत अपनी बहन के वैवाहिक घर आए और भले ही शिकायतकर्ता ने कारण के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन यादविंदर सिंह ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। इसके बाद, अमनदीप सिंह अपनी मां और चचेरे भाई दाईजीत सिंह के साथ जगदीप कौर के वैवाहिक घर पहुंचे और वहां पहुंचने पर उन्हें यादविंदर सिंह ने सूचित किया कि जगदीप कौर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने जगदीप कौर का शव बिस्तर पर पड़ा देखा था और उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान भी पाए थे। शिकायतकर्ता के उपरोक्त बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। जांच पूरी होने के बाद, चालान विद्वान इलाखा मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया था जहां धारा 208 Cr.P.C की आवश्यकता थी। इसका अनुपालन किया गया और विद्वान ललाखा मजिस्ट्रेट ने मामले को विद्वान कोर्ट ऑफ सेशन जज, चंडीगढ़ को सौंप दिया।

(4) निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी और 498-ए के तहत आरोप तय किए, जिस पर आरोपी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

(5) अपने मामले की पुष्टि करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सुश्री प्रेमा पुरी पीडब्लू1, कांस्टेबल हरजिंदर सिंह पीडब्लू2, बलबीर सिंह पीडब्लू3, शिकायतकर्ता अमनदीप सिंह पीडब्लू4, कांस्टेबल अजमेर सिंह पीडब्लू5, डॉ. निरलाप कौर पीडब्लू6, कांस्टेबल यशपाल पीडब्लू7, एसआई राम रतन पीडब्लू8 जांच अधिकारी, डॉ. कृष्ण दत्त यू. चावली (पीडब्लू9) कांस्टेबल तेजिंदर सिंह पीडब्लू10, एसआई बलदेव कुमार को पीडब्लू11 के रूप में पूछताछ की और उसके बाद अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य बंद कर दिए।

(6) अभियोजन साक्ष्य के बंद होने के बाद, धारा 313 Cr.P.C के तहत आरोपी के बयान। रिकॉर्ड किए गए। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में दिखाई देने वाली सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों को अभियुक्त के सामने रखा गया था, जिस पर अभियुक्त ने इनकार किया और खुद को निर्दोष होने का दावा किया। अभियुक्तों ने डॉ. A.K.Gupta (DW-1) G.S.Saini, DW-2 के रूप में अधिवक्ता,

रणधीर कौर DW-3, केसर कौर DW-4 और बलबीर सिंह DW-5 से पूछताछ की और अपने बचाव साक्ष्य को बंद कर दिया।

(7) पक्षकारों के विद्वत वकील को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.7.2010 के विनिश्चय और दिनांक 14.7.2010 के आदेश द्वारा अभियुक्त को यथापूर्व दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

(8) दिनांक 12.7.2010 के पूर्वोक्त निर्णय और दिनांक 14.7.2010 के आदेश से असंतुष्ट महसूस करते हुए, वर्तमान अपील अभियुक्त द्वारा निर्देशित की गई है।

(9) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से मामले के अभिलेखों को देखा है।

(10) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि आईपीसी की धारा 304-बी के तहत अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन को निम्नलिखित घटकों को साबित करने की आवश्यकता है:- (i) एक महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण या सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य किसी कारण से होती है।

(ii) ऐसी मृत्यु अन्य विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई होगी।

(iii) उसे दहेज की मांग के संबंध में उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा होगा।

(11) यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपराध का तीसरा घटक साबित नहीं होता है क्योंकि फाइल पर यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक को दहेज की वस्तुओं की मांग के संबंध में क्रूरता का शिकार होना पड़ा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, मृतक जगदीप कौर पहले शादीशुदा थी और इस तथ्य के कारण कि वह एक बच्चे को गर्भ धारण नहीं कर सकती थी, पहले के पति के साथ वैवाहिक कलह थी। उक्त विवाद पूर्व पति के साथ सुलझा लिया गया था और उसके पूर्व पति ने उसे मुआवजे के रूप में Rs.2,00,000/- की राशि का भुगतान किया था। Rs.2,00,000/- की उक्त राशि वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता के नाम पर जमा की गई थी। मृतक जगदीप कौर अपने भाई से Rs.2,00,000/- की उक्त राशि की मांग कर रही थी, लेकिन उसका भाई उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहा। जगदीप कौर अपने दोस्तों के साथ माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा करने गई और अपनी मृत्यु से दो दिन पहले 11.6.2009 से 14.6.2009 i.e. तक वहीं रही। मृतक के सहयोगियों i.e. रणधीर कौर डीडब्ल्यू-3 और केसर कौर डीडब्ल्यू-4 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक ने माता वैष्णो देवी मंदिर से शिकायतकर्ता से Rs.2,00,000/- की मांग करते हुए फोन किया था। शिकायतकर्ता ने राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया था, मृतक शिकायतकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने से इनकार करने के कारण परेशान था। शिकायतकर्ता ने एक नई कार खरीदने के लिए Rs.2,00,000/- की राशि का उपयोग किया है। जगदीप कौर मृतक भी इस बात से परेशान थी कि वह गर्भ धारण नहीं कर सकती थी। जगदीप कौर ने दहेज के सामान की मांग के कारण नहीं, बल्कि उसी वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष की कहानी ही दहेज की वस्तुओं की मांग को नकारती है।

(12) शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा के अनुसार विभिन्न वस्तुओं जैसे टेलीविजन, फ्रिज, डबल बेड अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं को अपीलार्थी द्वारा जगदीप कौर की सुविधाओं के लिए खरीदा गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त वस्तुओं को खरीदने के लिए एक पैसा भी योगदान नहीं किया गया था या उनकी मांग नहीं की गई थी।

(13) यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जगदीप कौर और अपीलार्थी के निवास के लिए अलग व्यवस्था घर की पहली मंजिल पर की गई थी। जगदीप कौर कंप्यूटर केंद्र स्थापित करने में रुचि रखते थे और अपीलार्थी ने उन्हें पहली मंजिल पर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया। उन्हें माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाने की अनुमति दी गई थी, जहां वह घटना से ठीक पहले कई दिनों तक अपने दोस्तों के साथ रहीं। उन्होंने माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा का आनंद लिया था और इस संबंध में तस्वीरें फाइल पर रखी गई हैं। फाइल पर दहेज की वस्तुओं की मांग के अस्पष्ट आरोप की पुष्टि नहीं की गई है।

(14) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी ने इस बीमा पॉलिसी में मृतक को नामित किया है। शिकायतकर्ता ने आगे स्वीकार किया है कि मृतक अंग्रेजी बोलने वाले पाठ्यक्रम और कंप्यूटर पाठ्यक्रम में शामिल हुआ था और अपीलार्थी इन दोनों पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क प्रदान कर रहा था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी दहेज वस्तु की मांग की गई थी। मृतक की शिकायत शिकायतकर्ता के खिलाफ थी न कि अपीलार्थी के खिलाफ। मृतक जगदीप कौर सेवा में थी और शिकायतकर्ता के कहने पर, उसने अपनी साली i.e. के पक्ष में नौकरी छोड़ दी। शिकायतकर्ता की पत्नी। मृतक की मां अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आई हैं। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि धारा 304-बी के तहत अपराध है। आई. पी. सी. नहीं बना है।

(15) यह आगे तर्क दिया जाता है कि अन्य सह-अभियुक्त जिनके विरुद्ध समान आरोप हैं, उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। अतः, प्राधिकरण अप्पासाहेब और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1) को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी भी बरी होने का हकदार है।

(16) अपीलार्थी के वकील ने अधिकारियों पर भी भरोसा किया है सुनील बजाज बनाम State ofM.P, (2) बलकार सिंह बनाम हरियाणा राज्य (3) और अमित मेहरा बनाम U.T. चंडीगढ़ आपराधिक अपील नं. 2011 की धारा 1216 एसबी (ओ एंड एम) ने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय द्वारा 5.2.2013 को निर्णय लिया।

(17) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि आसानी से यह न्यायालय आईपीसी की धारा 304-बी के तहत बरी होने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है, उस आसानी से आईपीसी की धारा 306 के तहत सबसे अधिक अपराध बनाया गया है। अभिरक्षा प्रमाणपत्र के अनुसार, अपीलार्थी अभिरक्षा में है और 21.2.2013 को तीन वर्ष, सात माह और इक्कीस दिनों की अवधि के लिए कारावास से गुज़रा है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध में परिवर्तित करके सजा को कम किया जा सकता है।

(18) उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्तुतियों के उत्तर में, विद्वान राज्य के वकील ने विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश का समर्थन किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दहेज की वस्तुओं की मांग के आरोप हैं। शादी के कुछ ही महीनों के भीतर मृत्यु हो गई है। मृत्यु एक अप्राकृतिक तरीके से है

i.e. लटकाकर। दहेज की वस्तुओं की मांग है। इसलिए, निचली अदालत ने सही तरीके से दोषी ठहराया है और आरोपी को सजा सुनाई है।

(19) 1 ने दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है और उनकी सक्षम सहायता से मामले के अभिलेखों को देखा है।

(20) यह निश्चित विधि है कि अपीलीय न्यायालय एकमात्र ऐसा मंच है जहाँ साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(21) आईपीसी की धारा 304-बी के तहत अपराध के पहले दो घटक, जैसा कि फैसले के पिछले भाग में विस्तृत हैं, वे पूर्ण हैं और इस संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया है। मृत्यु अप्राकृतिक तरीके से और शादी के सात साल के भीतर हुई है।

(22) अब सवाल यह उठता है कि क्या फाइल पर साक्ष्य आईपीसी की धारा 304-बी के तहत अपराध के संबंध में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम रहा है कि अपीलार्थी ने दहेज की वस्तुओं की मांग के संबंध में मृतक जगदीप कौर के साथ क्रूरता की है। इस संबंध में पीडब्लू-3 के बीरबल सिंह और पीडब्लू-4 के अमरदीप सिंह की गवाही प्रासंगिक है। अमरदीप सिंह मृतक जगदीप कौर का भाई था।इस गवाह ने कहा है कि शादी के समय पर्याप्त दहेज की वस्तुएं दी गई थीं। शादी के पक्षों ने अपनी पिछली शादियों से तलाक ले लिया। शादी के बाद, आरोपी ने अपर्याप्त दहेज लाने के लिए जगदीप कौर को परेशान करना शुरू कर दिया और नकदी की मांग की गई। जगदीप कौर उससे प्यार करती थी और अपर्याप्त दहेज लाने के संबंध में उसे सब कुछ बताती थी। जगदीप कौर ने उन्हें टेलीफोन पर उपरोक्त तथ्य का खुलासा किया और साथ ही जब भी वह उनके घर जाती थीं। मामले को सुलझा लेने की कोशिश की गई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उनके चाचा बलबीर सिंह ने 14.6.2009 को उनके गांव का दौरा किया और उन्हें उक्त तथ्य का खुलासा किया गया। 16.6.2009 को मृत्यु होने के कारण वह नहीं जा सके। यादविंदर सिंह ने उन्हें 16.6.2009 को 4.30 p.m पर फोन किया। वे वैवाहिक घर आए और वहां उन्हें जगदीप कौर का शव मिला। पीडब्लू-3 ने कहा है कि अमरदीप सिंह ने 14.6.2009 को मृतक जगदीप कौर के साथ क्रूरता के बारे में खुलासा किया था, लेकिन 16.6.2009 को जगदीप कौर की मृत्यु के कारण वह वैवाहिक घर नहीं जा सका।उनके बयान को सुनी-सुनाई गवाही होने पर आपत्ति जताई गई थी और यह देखा गया था कि इस आपत्ति को बहस के समय सराहा जाएगा। इसलिए, इस गवाह ने मृतक के प्रति अपीलार्थी द्वारा क्रूरता के ज्ञान से इनकार किया। 14.6.2009 को अमरदीप सिंह ने अपीलार्थियों और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग का तथ्य सुनाया था, लेकिन उनके पिछले कथन में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था।

(23) इसलिए, अमनदीप सिंह (पीडब्लू-4) के बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

(24) प्रतिपरीक्षा के दौरान, इस गवाह ने कहा है कि जगदीप कौर पहले एक वर्ष के लिए विवाहित थी और उक्त विवाह आपसी सहमति से भंग कर दिया गया था और उसे Rs.2,00,000/- का मुआवजा मिला था, जो उसके खाते में जमा किया गया था और उसने वह राशि वापस नहीं की है। उन्होंने आगे कहा है कि जगदीप कौर से पहली शादी से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी और जगदीप कौर का इलाज खरार में गर्भधारण न करने की समस्या के कारण चल रहा था और यही

तलाक का कारण था। इस गवाह ने आगे स्वीकार किया है कि उसने मृतक को नौकरी से इस्तीफा देने के लिए राजी किया और उसके बाद उसकी पत्नी हरजिंदर कौर को वह नौकरी दी गई। उन्होंने आगे स्वीकार किया है कि यू. जी. सी. परीक्षा, पुस्तकों आदि की परीक्षा के लिए शुल्क। अपीलार्थी द्वारा भुगतान किया गया। उसने आगे कहा है कि उसने किसी भी समय पुलिस को दहेज की वस्तुओं या आभूषणों की कोई सूची नहीं दी है। उसने आगे स्वीकार किया है कि उसकी बहन गांव मालोवा में कंप्यूटर केंद्र खोलना चाहती थी और इसका खर्च यादविंदर सिंह ने किया था। उसने आगे स्वीकार किया है कि उसकी बहन अंग्रेजी बोलने का कोर्स कर रही थी और उक्त कोर्स के लिए फीस का भुगतान यादविंदर सिंह अपीलार्थी द्वारा किया जा रहा था। उसने स्वीकार किया है कि विवाह के बाद अपीलार्थी द्वारा नया फर्नीचर खरीदा गया था और उसके द्वारा बैंक के माध्यम से किस्त का भुगतान किया गया था। उसने जगदीप कौर से शादी के बाद आरोपी द्वारा नई वाशिंग मशीन और गहने खरीदने के बारे में अनभिज्ञता दिखाई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि आरोपी और मृतक घर की पहली मंजिल पर रह रहे थे और घर पर दो केबल कनेक्शन थे-एक भूतल पर और दूसरा पहली मंजिल पर। उसने आगे स्वीकार किया है कि नया टेलीविजन आरोपी द्वारा खरीदा गया था। उसने अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा नए डबल बेड, अलमारी, फर्नीचर की खरीद के बारे में भी स्वीकार किया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि मृतक बैंक परीक्षा में उपस्थित हुआ था और उसी की फीस का भुगतान याचिकाकर्ता यादविंदर सिंह ने किया था। उसने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि फरवरी के महीने में यादविंदर सिंह और जगदीप कौर पेट में समस्या के लिए गए थे और आरोपी उसे महेश अस्पताल, सरहिंद ले गए थे। इस गवाह ने स्वीकार किया है कि आरोपी जगदीप कौर को चंडीगढ़ ले गया है और यह गवाह जगदीप कौर के इलाज के संबंध में उसके साथ काम पर नहीं जा सका। उन्होंने डॉक्टर संधू प्रयोगशाला से आरोपी द्वारा जगदीप कौर के इलाज को भर्ती कराया। मैंने यदविंदर सिंह द्वारा उपचार के लिए किए गए सभी खर्च के तथ्य को स्वीकार किया और अपीलार्थी ने उनसे किसी भी पैसे की मांग नहीं की थी। उन्होंने यह तथ्य स्वीकार किया है कि जगदीप कौर 9.6.2009 को माता वैष्णो देवी के मंदिर में अपने दोस्तों के साथ गई थी और 14.6.2009 तक वहीं रही और इस संबंध में फाइल पर तस्वीरें पेश की गई हैं। जिरह में इस गवाह ने आगे कहा है कि वह कोई तारीख, महीना नहीं बता सकता जब जगदीप कौर ने उसे बताया कि परमजीत कौर आई थी और मृतक को परेशान किया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि यादविंदर सिंह-अपीलार्थी ने उसे मृतक के लिए एक कंप्यूटर केंद्र खोलने के बारे में खुलासा किया था। इस गवाह ने आगे स्वीकार किया है कि जगदीप कौर बीमा पॉलिसी में नामित थी जो अपीलार्थी यादविंदर सिंह के नाम पर है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जगदीप कौर के लिए पहली मंजिल पर अलग इंटरनेट कनेक्शन था और आरोपी यादविंदर सिंह ने सारा खर्च वहन किया है। उसके गवाह ने आगे स्वीकार किया है कि उन्होंने शादी के बाद फर्नीचर, खाने की मेज, टेलीविजन और वाशिंग मशीन की कोई वस्तु उपलब्ध नहीं कराई है। इस गवाह ने कहा है कि केवल पैसे की मांग की गई थी लेकिन वह विशिष्ट राशि नहीं बता सकता है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि मृतक गर्भधारण न करने के कारण अवसाद में था। इस गवाह ने आगे स्वीकार किया है कि यह सही है कि शादी के समय किसी भी आरोपी द्वारा नकद और दहेज या कुछ और राशि नहीं दी गई थी।

(25) इसलिए, इस गवाह अमनदीप सिंह के बयान की बारीकी से जांच से, मांग करने का कोई विशिष्ट तिथि समय नहीं बनाया गया है। इसमें गवाह ने कहा है कि केवल नकदी की मांग की गई थी, लेकिन इस गवाह द्वारा कोई राशि नहीं बताई जा सकी। अपीलार्थी का सुझाव है कि उसके

पास पिछले विवाह के मुआवजे के संबंध में प्राप्त मृतक की Rs.2,00,000/- की राशि थी और वह मांग कर रही थी लेकिन इस गवाह ने उस राशि को देने से इनकार कर दिया है।

(26) अमनदीप सिंह के बयान से यह पता चलता है कि अपीलार्थी ने मृतक को एक विशेष निवास प्रदान किया है और बिस्तर, टेलीविजन, फ्रिज, इंटरनेट कनेक्शन और अलग टेलीविजन कनेक्शन सहित जीवन की सभी सुविधाएं प्रदान की हैं। उसकी गवाही से यह भी पता चलता है कि कंप्यूटर पाठ्यक्रम, जे अंग्रेजी बोलने वाले पाठ्यक्रम और पुस्तकों पर होने वाले सभी खर्च अपीलार्थी द्वारा वहन किए गए थे। अपीलार्थी ने मृतक को अपने दोस्तों के साथ 9.6.2009 से 14.6.2009 तक माता वैष्णो देवी से मिलने की भी अनुमति दी।विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ गलत निष्कर्ष निकाला है कि वह मृतक के साथ वैष्णो देवी के पास नहीं गया था। मान लीजिए, अपीलार्थी बीमा व्यवसाय कर रहा है और एक पेशेवर व्यक्ति तीर्थयात्रा के लिए आने के लिए इतने दिनों का खर्च वहन नहीं कर सकता है। मृतक की माँ अभियोजन की आसानी का समर्थन करने के लिए गवाह बॉक्स में नहीं आई है।अमनदीप सिंह का साक्ष्य आईपीसी की धारा 304-बी के तहत अपराध के तीसरे घटक को साबित करने से कम है कि अपीलार्थी के हाथों दहेज की वस्तुओं की मांग के संबंध में जगदीप कौर के साथ क्रूरता की गई थी। जिन अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ इसी तरह के आरोप थे, उन्हें निचली अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

(27) अधिकार में अप्पासाहेब और दूसरे के मामले (उपर्युक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अन्य सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त करने का लाभ अन्य अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए।

(28) सुनील बजाज मामले (उपर्युक्त) में अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 304-बी के तहत बरी कर दिया गया था, जहां दहेज की तत्काल मांग का कोई सबूत नहीं था और दहेज की मांग के संबंध में गवाहों का बयान असंगत पाया गया था।

(29) अधिकार में बलकार सिंह के मामले (उपर्युक्त) में वजन दिया गया था जहां मृतक के पिता को जानकारी दी गई थी और मृतक द्वारा अपने पिता या किसी अन्य रिश्तेदार को आरोपी द्वारा कदाचार के बारे में कोई शिकायत या पत्र नहीं लिखा गया था।

(30) प्राधिकरण अमित मेहरा की छूट (उपर्युक्त) आईपीसी की धारा 304-बी के तहत बरी होने से संबंधित है, जहां धन या दहेज की वस्तुओं की मांग साबित नहीं हुई थी।

(31) अतः उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील स्वीकार की जाती है। निचली अदालत के फैसले और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है। अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जाता है। जुर्माना, यदि कोई हो, तो अभियुक्त/अपीलार्थी को नियमों के अनुसार वापस किया जाएगा।

(32) इस निर्णय की एक प्रति सख्त अनुपालन के लिए विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

एस. संधू

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी

व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाडी **(हरियाणा)**